IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक सहभागिता में महिला नेतृत्व का अध्ययन

डॉ. परविन्द्रजीत सिंह

प्राचार्य

संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज पदमपुर

सारांश -

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर महिलाओं के लिए प्रारंभ किये गये विभिन्न कल्याणकारी कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार योजनाऐं, छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा, आंगनबाड़ी योजना, मितानीन कार्यक्रम, निःशुल्क सायकल, पुस्तके, निःशुल्क शिक्षा, आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग इत्यादि कार्यक्रमों से महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन लाये है। महिला नेतृत्व को विकसित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नये आयाम खड़े किये हैं आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत सभी स्थानों पर महिला नेतृत्व ने यह साबित कर दिया है कि वे राजनीतिक व सामाजिक सहभागिता में पुरूष वर्ग से पीछे नहीं है। नेतृत्व क्षमता के विकास में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, अब महिला वर्ग किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व के लिए पुरूष वर्ग की मोहताज नही है बल्कि अध्ययन क्षेत्र श्रीगंगानगर जिले के स्कूल व कॉलेजों के परिक्षा परिणाम, शिक्षा कर्मियों की सूची में सर्वाधिक महिला वर्ग का नाम है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रावीण्य सूची में महिला वर्ग दिन पर दिन आगे बढ़ रही है। यही उनकी नेतृत्व क्षमता को सशक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सभी वर्ग की महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण वे जिला प्रशासन से लेकर राज्य स्तर की बैठकों में सम्मिलित हो रही है। आज श्रीगंगानगर जिले में महिला नेतृत्व ने अपनी अमिट छाप छोड़ी हैं।

शब्द संकेत – सामाजिक सहभागिता, महिला नेतृत्व

सामाजिक सहभागिता – राजस्थान के बारे कहा जाता है कि "राजस्थान एक धनी प्रदेश है परन्तु यहां गरीब लोगों का निवास है ।" राजस्थान में प्रगाढ़ मात्रा मे प्राकृतिक भंडार है वन, खनिज, उद्योग, पानी, बिजली, कृषि योग्य भूमि और श्रमिक सभी उपलब्ध है परन्तु न तो उनका उचित दोहन हो रहा है और न ही उनका इस क्षेत्र के प्रति समर्पण रहा है इसलिए श्रम पलायन को रोककर इस प्रदेश के प्रति सभी निवासियों का समर्पण व लगाव आवश्यक हैं तभी यहां विकास की गंगा बह सकती है । सामाजिक ढाँचे में महिलाओं की मेहनत, उनका भारतीय परम्परा व संस्कृति में अटूट विश्वास, ईमानदारी तथा सामूहिक परिवार की जिम्मेदारी का वहन करना महत्वपूर्ण तत्व है जो अन्य प्रदेशों की तुलना में यहां की सामाजिक विरासत को बनाये रखा है जब राजस्थानमें राज्य निर्माण के पूर्व बड़ी मात्रा में रोजगार की तलाश में गांव के गांव पलायन करके दूसरे प्रदेशों में छः माह से लेकर दस माह तक बने रहते थे केवल धान की रोपाई के समय अपने गांव लौटते थे उसमें बच्चे, महिलाऐं सभी एक साथ पलायन करते थे । अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के अनेक संगठनों द्वारा जनजागरूकता, समाज कल्याण, नारी सशक्तिकरण, वृक्षारोपण, कुपोषण, जनधन योजना, आंगनबाड़ी योजनाऐं, स्वसहायता समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी व सहभागिता पुरूष से कम नहीं है ।

सहभागिता की आवश्यकता :–

ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास कार्यक्रम हो या राजनैतिक कार्यक्रम नागरिको की सम्बद्धता आवश्यक और महत्वपूर्ण है। निम्न तत्वों के कारण सहभागिता आवश्यक है।

1- सहभागिता वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति का साधन है।
2- जन सहभागिता से प्रशासन में पारदर्शिता आती है।
3- नागरिक सहभागिता से यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वे उत्तरदायित्व ग्रहण करने में सक्षम है।
4- सहभागिता से प्रशासनिक नेतृत्व प्राप्त होता है।
5- सहभागिता प्रशासनिक समस्याओं के प्रभावी समाधान में सहायक होती है।

इसी प्रकार ग्रामीण जनता परियोजना के क्रियान्वयन मे तीन प्रकार सें सहभागिता निभा सकती है संसाधन में योगदान देकर, प्रशासन और समन्वयन प्रयासों में सहयोग देकर और राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए समान के समस्त वर्गो की सहभागिता आवश्यक है। इसी प्रकार परियोजनाओं के मूल्यांकन में ग्रामीण नागरिक तीन प्रकार की गतिविधियों द्वारा भाग ले सकते है– परियोजना केन्द्रित मूल्यांकन, राजनीतिक गतिविधियों और जनमत सहयोग द्वारा। इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया मे समाज के व्यक्तियों का सहयागे अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

तालिका –1 महिलाओं द्वारा पंचायत की बैठकों में भाग लेने में नियमितता

क्रमांक	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	150	50
2	नहीं	135	45
3	कुछ नहीं कह सकते	10	3.33
4	प्रश्न समझ में नही आया	5	1.67
योग		300	100

रेखाचित्र – 1 महिलाओं द्वारा पंचायत की बैठकों में भाग लेने में नियमितता

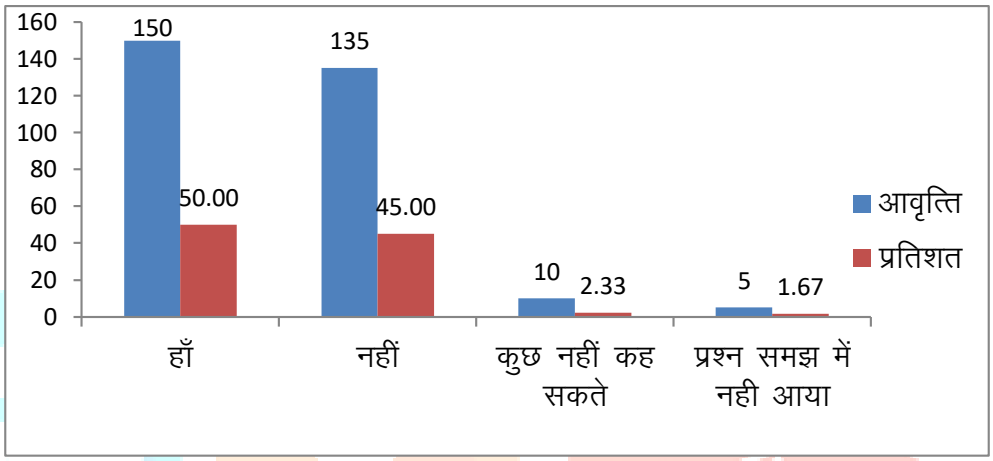

तालिका व रेखाचित्र से यह ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि महिलाएं पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेती है जबकि 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाएँ पंचायत में नियमित रूप से भाग नहीं ले पाती हैं। क्योंकि उनके साथ अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जुड़ी रहती है इसलिए वे सबसे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करती है बाद में जो समय बचता है उसमें पंचायत, और समाज से संबंधित कार्यों का निपटारा करती है । जबकि 2.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के संबंध में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वे श्रम पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं इसीलिए इस स्थानीय गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नही रखते, और 1.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रश्न समझ में ही नहीं आया हैं।

तलिका –2 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं की जनजागरूकता

क्रमांक	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	164	54.67
2	नहीं	97	32.33
3	कुछ नहीं कह सकते	27	9
4	प्रश्न समझ में नही आया	12	4

योग	300	100

रेखाचित्र –2 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं की जनजागरूकता

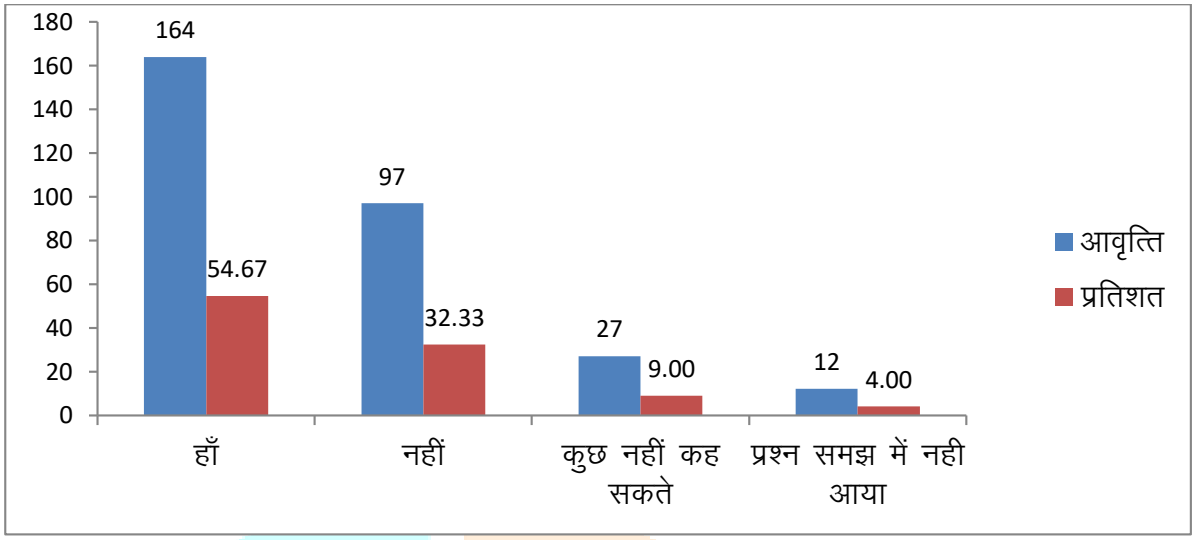

तालिका व रेखाचित्र के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 54.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि पंचायतों मे महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं की जन जागरूकता में वृद्धि हुई है। जबकि 32.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस तर्क से असहमत हैं। क्योंकि उनका यह मानना है कि 50 प्रतिशत आरक्षण के पूर्व भी इन महिलाओं में उतनी ही जनजागरूकता थी जो आरक्षण मिलने के बाद है । इसका कारण यह बताया कि पंचायत का पूरा कार्य उनके पति करते हैं महिला केवल अंगूठा लगाती है । 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में पूर्णतः तटस्थता बनाए रखी। 4 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रश्न को समझ नहीं पाए।

तालिका–3 पंचायतों में नेतृत्व प्राप्त होने से महिलाओं का सामाजिक स्तर में वृद्धि होना

क्रमांक	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	211	70.33
2	नहीं	55	18.33
3	कुछ नहीं कह सकते	24	8
4	प्रश्न समझ में नही आया	13	4.33
योग		300	100

रेखाचित्र – 3 पंचायतों में नेतृत्व प्राप्त होने से महिलाओं का सामाजिक स्तर में वृद्धि होना

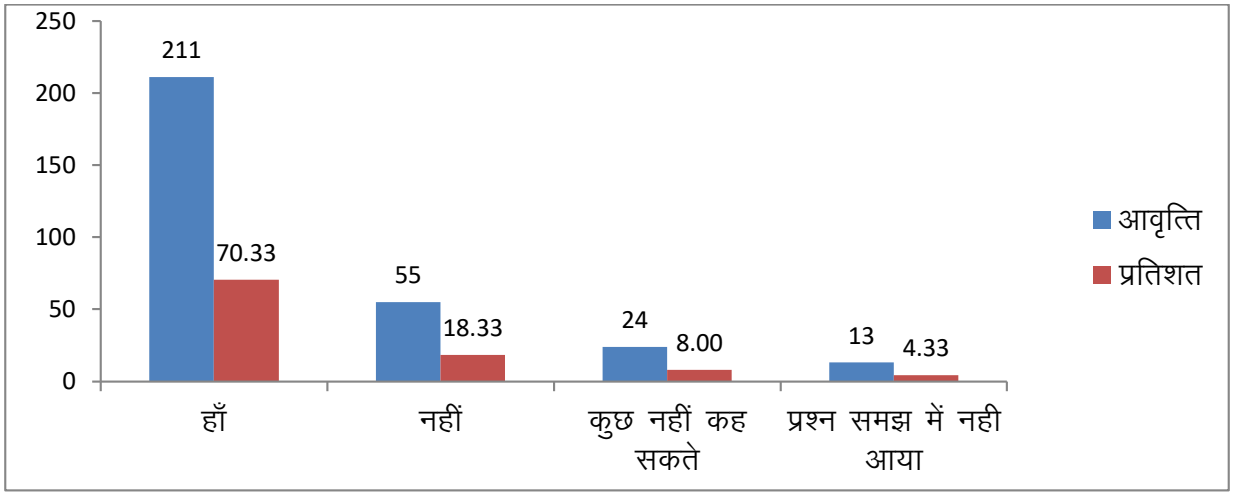

तालिका व रेखाचित्र के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 70.33 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि महिलाओ को पंचायतों में नेतृत्व प्रदान करने से उनमें सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई है। जबकि 18.33 प्रतिशित उत्तरदाता ने इस संबंध में अपनी असहमति व्यक्त की। उनका यह मानना है कि आज भी व्यवहारिक रूप से समाज में वही होता है जो पुरूष वर्ग चाहता है महिलाओं की आवाज को नजर अंदाज कर दिया जाता है । जहां 8 उत्तददाताओं ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा। वही 3.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाए क्योंकि वे सभी मजदूर है और उन्हें समाज, राजनीति से कोई लेना देना नहीं ।

उपरोक्त तालिकाओं व रेखाचित्रो के विवरण से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र श्री गंगानगर जिला में महिलाओं द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व का सफल संचालन किया जा रहा है एवं उनकी भागीदारी पुरूष नेत्व के समान ही बनी हुई है बल्कि कुछ क्षेत्रों में पुरूष वर्गों से भी महिला नेतृत्व श्रेष्ठ पाया गया है जैसे जिस ग्राम में महिला सरपंच है वहां मद्यपान जैसी समस्याऐं समाप्त होते जा रही है। जो समाज का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है जबकि जिन ग्रामों में पुरूष सरपंच है वहां मद्यपान की समस्या अभी भी बनी हुई है एवं महिलाओं को इसकी परेशानी भुगतना पड़ रहा है। साथ ही आधी आबादी जहां महिलाओं की है वहां महिलाओं को नेतृत्व प्रदान कर स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में जो सहयोग शासन को प्राप्त हो रहा है वह सराहनीय है शासन द्वारा अनेक महिला ग्राम पंचायतों को अच्छे कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र में पुरस्कृत भी किया है जिससे महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है एवं राजनीतिक, सामाजिक, सहभागिता के प्रति वे दृढ संकल्पित होते जा रही है।वर्तमान परिवेश में ग्रामीण स्तर पर अनके शिक्षित स्नातक एवं स्नातकोत्तर महिलाऐं सरपंच के रूप में सराहनीय नेतृत्व प्रदान कर रही है एवं महिलाओं में सामाजिक जनजागरूकता में वृद्धि कर रही है।

अतः आज महिला नेतृत्व, महिला जनजागरूकता, महिला राजनीतिक व सामाजिक सहभागिता का तेजी से विकास हो रहा है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं द्वारा सामाजिक व राजनीतिक सहभागिता में जिम्मेदारी निभाना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अध्ययन क्षेत्र श्री गंगानगर जिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी जी का बेटी पढ़ाओं – बेटी बचाओ कार्यक्रम सफल रूप से महिला सरपंचों द्वारा संचालित किया जा रहा है जो प्रशंसनीय है। महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से ग्राम पंचायतों में महिलाओं द्वारा प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान कर राजस्थान में ग्राम पंचायतों के एक नई दिशा और दशा प्रदान की जा रही है जिससे ग्राम पंचायतों की तकदीर और तस्वीर संवारने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान साबित हो सकेगा।

निराकरण के उपाय – अध्ययन क्षेत्र श्री गंगानगर जिले में राजनीतिक सहभागिता में महिला नेतृत्व के लिए प्रारंभिक वर्षो में अनेक समस्याऐं उत्पन्न हुई और कई महिलाओं ने जनप्रतिनिधि बनने से मना भी कर दिया था क्योंकि पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता में गांव की भोली भाली अशिक्षित महिलाओं को पुरूषों के बीच जाकर काम करना एवं जिला स्तर पर अपनी मांगों को मनवाकर स्थानीय समस्याओं को दूर करना टेढ़ी खीर थी। परन्तु शिक्षित परिवार और शिक्षा ने इन सभी समीकरणों को बदलकर महिला सशक्तीकरण को प्रोतसाहित कर एक नई दिशा प्रदान की, आज अधिकांश महिला सरपंच उत्कृष्ठ पंचायत का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। महिला नेतृत्व की समस्या के निराकरण में प्रमुख निम्न तत्व महत्वपूर्ण हैं।

1. **ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण** – पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के प्राप्त होने वाले आरक्षण ने उन्हें एक नई प्रेरणा प्रदान की हैं विशेषकर शिक्षित महिलाओं ने इसे एक चुनौती के रूप मे स्वीकार किया और ईमानदारी और परिश्रम से ग्रामीण स्तर पर सरपंच बनकर जो सुधार किये वे दूसरी महिलाओ के लिए आदर्श बन गये। यदि आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तब महिला नेतृत्व कभी भी उभरकर सामने नहीं आ पाता।
2. **बेरोजगारी**– वर्तमान समय में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वर्ग पुरूष के बराबर शिक्षित हो चुकी हैं और सभी को शत्–प्रतिशत रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया इसीलिए इन शिक्षित बेरोजगारों ने सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि के रूप मे कार्य करने में दिलचस्पी ली और शासन की विभिन्न योजनाओं जिसमें कृषि से संबंधित योजनाऐं भी हैं उनका लाभ लेना प्रारंभ किया । अतः शिक्षा और बेरोजगारी ने महिला नेतृत्व को उभरने के लिए प्रेरित किया और आज ऐसी शिक्षित बेरोजगारी महिलाऐं सरपंच बनकर सिरमौर बनी हुई हैं ।
3. **केन्द्र व राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव**–पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को विकसित करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन शासन द्वारा किया गया है। इससे प्रभावित होकर महिला नेतृत्व और राजनीतिक सहभागिता में स्वतः वृद्धि होने लगी। अध्ययन क्षेत्र श्री गंगानगर जिले में स्व–सहायता समूह जैसी योजना के माध्यम से अनेक महिलाऐ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स''क्त होकर पुरूषों की तुलना में बेहतर नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

4. **युवा वर्ग की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन** – राजस्थान राज्य की स्थापना का प्रमुख आधार विकास के नाम पर था। जब राज्य बना तब प्रदेश के सभी वर्गों में नया उत्साह, जोश और राज्य को आगे बढ़ाने का इरादा स्पष्ट झलक रहा था चाहे जनप्रतिनिधि हो, युंवा हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित–अशिक्षित सभी राज्य का विकास चाहते थे इस सोच ने ग्रामीण स्तर पर भी प्रभाव डाला और ग्रामीण युवक और युवतियाँ जिन्हें 18 वर्ष की उम्र मे मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ हैं उन्होंने संगठित होकर पुरानी गलत परम्पराओं को तिलांजलि देते हुए महिला पुरूष का भेद समाप्त कर दिया और उन्हें केवल विकास देखना था चाहे वह महिला द्वारा हो या पुरूष द्वारा। इस सोच ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और नेतृत्व को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं ।
5. **महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता** – राजनीति जागरूरकता से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञान से है। यह राजनीतिक संस्थाओ एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करना है। राजनीतिक जागरूकता का सहभागी अभिविन्यास एवं राजनीतिक दक्षता से गहरा संबंध होता है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी परिणामों के द्योतक होता है।
6. **राजनीति में महिलाएं** – लगभग सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में महिला आरक्षण पर अमल का वादा किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री रहते एच. डी. देवेगौड़ा और अटल बिहारी बाजपेयी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। पास कराने की कोशिश भी हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। सरकारे आती जाती रही प्रधानमंत्री बदलते रहे। यह विधेयक 1996 से अब तक कई बार लोकसभा में पेश हो चुका है, लेकिन आम सहमति के अभाव में यह पारित नहीं हो सका। यूपीए सरकार के कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक आगे नहीं बढ़ा। आम सहमति न बन पाने के कारण बताकर महिला विधेयक को एक प्रकार से ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। महिला आरक्षण का यह अब तक का सफरनामा इस पर छल–कपट ढोंग–दिखावे मृग मरीचिका के एक दशक का संक्षिप्त लेखा–जोखा है जो ''नौ दिन चले अढाई कोस'' की कहावत को चरितार्थ करता है आखिर आरक्षण का यह छलावा और पाखण्ड कब तक चलता रहेगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आज भी महिलाओं को सांसद और विधानसभाओं मे उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अंतर संसदीय संघ के अनुसार विश्वभर की संसदों में सिर्फ 17.5 प्रतिशत महिलाएं है। ग्यारह देशो की संसदों में तों एक भी महिला नहीं और 60 देशों मे 16 से 10 प्रतिशत। अरब देशों में महिलाओ का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.6 प्रतिशत। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में 183 देशों में रवांडा पहले नंबर पर है। वहां संसद में 48.8 फीसदी महिलाएं है। संसद में महिला को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारत दुनियां में 134वें स्थान पर है। ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता'' का राग अधिकांश पुरूष सांसद अलापते हैं। वे महिला सशक्तिकरण की

बात जरूर करते हैं। पर समाज की आधी आबादी के लिये त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर दिखता है। आरक्षण न सही राजनीतिक दल महिलाओं को ज्यादा टिकट देने लगे तो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी सोलहवीं लोकसभा इसका उदाहरण है।

महिला सहभागिता एवं समस्याएं –

प्रशासनिक बाधाओं के अतिरिक्त चयनित महिला प्रत्याशियों जिनमें सरपंच एवं पंच सभी शामिल है, के सम्मुख राजनीति में भागीदारी में निम्नलिखित समस्याएं उभर कर आई है –

1. अशिक्षा एवं जानकारी का अभाव – ज्यादातर पंच महिलाओं ने अशिक्षा एवं जानकारी के अभाव को राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा माना है। इनका मानना है कि केवल पढ़ी –लिखी महिलाओं को ही समर्थन प्राप्त होता है। अशिक्षित महिलाओं से बिना सच बतायें किसी भी कागज पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिये जाते है क्योंकि वे अशिक्षित है। उन्हें बातचीत करने में झिझक महससू होती है तथा सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने व कार्य करने में कठिनाई आती है। एक महिला पंच का कहना था कि कोई सूचना यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में टंगी या लिखी होती है तो तब भी वह अशिक्षित होने के कारण पढ़ नहीं पाती है जिसके कारण उन्हें ग्लानि का अनुभव होता है। अशिक्षित होने के कारण ही उनमें जानकारियों का अभाव बना रहता है। वे अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों को सही ढंग से नहीं जान पाती।
2. पारिवारिक समस्या – निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का कहना था कि सभी घरेलू उत्तरदायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। भले ही उन्हें पंचायत के किसी भी कार्य के लिए जाना हो। कुछ पंच महिलाओं का कहना था कि जब वें घर से बाहर चली जाती है तो घर का कार्य रह जाता है तथा बच्चें भूखे रहते है। कुछ सरपंचो का कहना था कि वें घरेलू उतरदायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकती। महिला ही घर की देखभाल कर सकती है पुरूष नहीं। परिणामस्वरूप वे कई बार पंचायतों की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाती। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में कार्यो का निष्पादन उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
3. घरेलू विवाद – नशें के कारण पति कई बार महिलाओं को पीटते है जिससे घर में कलह एवं अशान्ति का वातावरण हो जाता है। परिणामस्वरूप वे अपनी भूमिका का निर्वाह करने में असमर्थ रहती है। ऐसा प्रायः ग्राम पंचायत स्तर पर देखने को अधिक मिलता है।
4. सामाजिक व्यवहार और पुरूष प्रधानता – ग्राम पंचायत की पंच महिलाओं को अकेले जाने में समस्याओं का सामना करना पडता है। किसी पंचायत कार्य के लिए वे पूरी रात घर से बाहर नहीं गुजार सकती। लोग उसके घर से बाहर रह जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते है। महिलाएं पुरूषों के साथ बैठनें में शर्म महसूस करती है। कई महिलाएं घूंघट में रहती है। पंच/सरपंच महिलाओं का कहना था कि सामान्य

सीट से महिला चुनाव लड़े ऐसा लोग अच्छा नहीं मानते परन्तु आरक्षित सीट की वजह से उन्हें चुनाव लड़वाया जाता है। महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती। पर्दा प्रथा, शर्म आदि कुछ तथ्य महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते है।

प्रमुख सुझाव

1. भारतीय संविधान में महिलाओं के नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता के लिए विशेष प्रबंध किये गए है। राजनीतिक सहभागिता व जागरूकता के लिए संविधानिक संशोधन से पंचायतों मे एक तिहाई स्थान में महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनके प्रयासों के बाद भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए और भी प्रभावी कदम स्थानीय ग्रामीण स्तर पर उठाये जाने की आवश्यकता है।
2. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था की जाए।
3. महिलाओं को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान की सहायता लेने के लिए सक्षम बनाया जाए।
4. महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्राथमिक स्कूलो से महाविद्यालयों तक उनके दाखिले का प्रतिशत बढ़ाना होगा तथा स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार की मात्रा भी बढ़ानी होगी।
5. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की दिशा में महिलाओ के प्रति बढ़ते अपराध एवं असुरक्षा की भावना एक गंभीर चुनौती बन कर खड़े हुए है जिन पर प्रभावी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आमंड ग्रेब्रियेल एंड जेम्स एस. कोलमेन – दि पालिटिक्स आफ डेवलपिंग एरियाज, प्रिंसटन, यूनिवर्सिटी प्रेस, 1960
2. अमल – आर्गेनाइजेशनल आस्पैक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कलकत्ता वर्ल्ड प्रेस, 1976
3. ब्रेन, जे. एल. – दि रीमेंकिंग आफ विलेज इंडिया, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1924
4. चौधरी, डी. एस. – इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इंडियन स्टेट्स, मंथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1981
5. चतुर्वेदी, टी. एन. एंड जैन, आर. बी. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1980
6. ग्राम विकास एव ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान – संदीप परमार. 1998
7. वर्मा, बी. एम. – रूरल लीडरशिप इन ए वेलफेयर सोसायटी, मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1994
8. वर्मा, आर. के. – पालिटिकल लीडरशिप, अमर प्रकाशन, दिल्ली, 1991
9. वेबलेन, पार्सटी – थ्योरी आफ दि लेजर क्लास, न्यूयार्क, दि मार्डन लाइब्रेरी, 1934